न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	30/2020
सरकार	बनाम	प्रभूराम पुत्र हरीराम, जाति–जाट, निवासी–अगवाना खुर्द।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 05.08.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल प्रभूराम पुत्र हरीराम, जाति–जाट, निवासी–अगवाना खुर्द द्वारा रोही मौजा अगवाना खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 380 के कुल रकबा 11.95 है0 किस्म गै.मु.जोहड़ में से रकबा 0.01 भूमि पर पक्की दिवार व ढ़ारा बनाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र पेश किया कि जवाब हेतु अवसर दिया जाये। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर देने उपरान्त भी जवाब नोटिस पेश नही किया। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........03........पर
वर्ष 2020-21 में रुपये...5/-.... कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नयब तहसीलदार, सूरजगढ़